राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः– प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013 /16658 जयपुर, दिनांकः– 21/07/2022

आदेश

राजस्थान लोक सेवा वाहन अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्धारित किया जाता है कि "रीट परीक्षा–2022" परीक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक दिवस पूर्व तथा एक दिवस पश्चात तक विभागीय अधिसूचना संख्या प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/17409 दिनांक 23.09.2021 के अतंर्गत अधिग्रहित किये गये वाहनों (बस/मिनी बस) को उनके संचालन के अनुसार प्रतिपूर्ति (compensation) एवं निर्धारित संरोध अधिभार (Detention Charges) देय होगा।

संरोध अधिभार (Detention Charges) की दरें निम्नानुसार है–

1. बैठक क्षमता 21 सीट तक के यात्री वाहन – रूपये 3000/– प्रतिदिन।
2. बैठक क्षमता 22–32 सीट तक के यात्री वाहन – रूपये 4000/– प्रतिदिन।
3. बैठक क्षमता 32 सीट से अधिक के यात्री वाहन – रूपये 5000/– प्रतिदिन।

इसके अतिरिक्त वाहन मालिकों को वाहन के संचालन के अनुसार प्रति कि.मी. प्रति सीट 0.85 रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा।

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन

क्रमांकः– प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/16659–16672 जयपुर, दिनांकः– 21/07/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त ।
9. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
10. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।.
12. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को विभाग की वेबसाईट पर अपडेटिंग हेतु।
13. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
14. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)